

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग

डी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005
दूरभाष - 2740252, 2740219, 2740292 (फैक्स)

Email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिड्यूल
(विशेष निर्मित पॉलिसी)

आयुक्त राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./81/मेडि./2017-18/31
बीमा अवधि : 20.02.2018 से 19.02.2019 (मध्य रात्रि)
बीमित का नाम : दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर के 07 कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 26.02.2018
कुल बीमा राशि : रुपये 3 लाख
(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)
प्रीमियम : 7500/- +30 Category -A / B / C जी.एस.टी-Nil

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): 07

शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रु. 52,710/-

जी.एस.टी. : Nil/-

कुल प्रीमियम रु. 52,710/-

ई-ग्रास चालान सं 21117766 दिनांक 09.02.2018 राशि रु. 52,710/- (चालान सं 4788775 समाशोधन दिनांक 15.02.2018)

जोखिम का विवरण

जोखिम आवरण

: राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित

पॉलिसी-बीमा राशि

: 3 लाख प्रति कार्मिक परिवार

पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन राजस्थान फाउण्डेशन के कार्मिक के परिवार में निम्न शामिल हैं:

(a) राजस्थान फाउण्डेशन कार्मिक (स्वयं),

(b) उसका/उसकी पति/पत्नी

(c) 2 आश्रित बच्चें जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।

(d) आश्रित माता-पिता राजस्थान फाउण्डेशन के कार्मिक पर आश्रित माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया राजस्थान फाउण्डेशन के कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्रोतों से रुपये 2000/-से अधिक नहीं हो।

वर्ष 2017-18 की पॉलिसी के संचालन के लिए पैरामाउण्ट हैल्थ सर्विसेज एण्ड इंशुरेंस टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है।

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि

टीपीए डेस्क, पैरामाउण्ट हैल्थ सर्विसेज एण्ड इंशुरेंस टीपीए प्रा. लि.

डी-204 एं, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास,

जयपुर - 302005 (राजस्थान) फोन नं.: 8233456656

ई-मेल: phs.sipf@gmail.com

आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +91 9116742466

(श्री अशोक चौधरी, रीजनल मैनेजर, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।

[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट (www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पालिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन राजस्थान फाउण्डेशन कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।

अतिरिक्त निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग

सा.बी.नि. एवं मेडिकलेम, जयपुर

COVERAGE [ILLUSTRATIVE]

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग

राजस्थान, जयपुर

